



2026:AHC: 64869

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 5349/2026

जिज्ञान

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मोहम्मद अशरफ

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य-विपक्षी की ओर से श्री वी.पी. त्रिपाठी, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक को थाना क्योलड़िया, जिला बरेली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 121 वर्ष 2024, सत्र विचारण संख्या 2222 वर्ष 2024, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5ए/8 के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं था और उसे प्रस्तुत प्रकरण में मिथ्यारूप से फँसाया गया है। आवेदक का नाम सह-अभियुक्त मुस्तकीम द्वारा पुलिस अभिरक्षा में दिये गये कथन में प्रकट किया गया था। उक्त कथन, जहाँ तक वह आवेदक को संलिप्त करता है, अविश्वसनीय है। इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने हेतु कोई पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त मुस्तकीम को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.05.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 7877 सन 2025 में पारित आदेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का आपराधिक इतिहास जमानत प्रार्थनापत्र के प्रस्तर संख्या 20 में स्पष्ट किया गया है। आवेदक दिनांक 18.01.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है। उन्होंने यह प्रस्तुत किया है कि आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त हैं।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख के परिशीलन के उपरान्त, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं था। आवेदक का नाम सह-अभियुक्त मुस्तकीम द्वारा पुलिस अभिरक्षा में दिये गये कथन में प्रकट किया गया था। इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने हेतु कोई पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। सह-अभियुक्त मुस्तकीम को इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।

6. आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्तों के सम्बन्ध में, राज्य का यह प्रकरण नहीं है कि आवेदक विवेचना के साथ छेड़छाड़ कर सकता है अथवा अन्यथा विवेचना को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, या कि वह विचारण से पूर्व अथवा विचारण के दौरान साक्षियों को भयभीत कर सकता है। राज्य ने भी कोई ऐसी सामग्री प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह प्रकट हो कि आवेदक ने भूतकाल में विधि की प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया हो। इस न्यायालय के मत में, यदि अभियुक्त अन्यथा जमानत पाने का अधिकारी पाया जाता है, तो केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर उसे जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता, जबकि आपराधिक पूर्ववृत्तों के आधार पर जमानत अस्वीकार करने हेतु कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं दर्शाई गई हों। अतः न्यायालय केवल इस आधार पर कि आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त हैं, उसे जमानत देने से इनकार करना उचित नहीं समझता है।

7. आश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह, (2012) 9 एस.सी.सी. 446 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर 30 में निम्नवत् अवलोकन किया है :-

"हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि जब हम यह कहते हैं कि अभियुक्त एक हिस्ट्रीशीटर है, तो यह नहीं समझा जाना चाहिए कि एक हिस्ट्रीशीटर कभी भी जमानत पाने का अधिकारी नहीं



है। किन्तु, जिस अपराध के लिए उसे अभिगृहीत किया गया है उसकी प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए यह एक महत्वपूर्ण कारक है जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।"

8. प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2020 (11) एस.सी.सी. 648 के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अनेक आपराधिक वादों की लम्बितता स्वयं में जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती।

9. इसके अतिरिक्त, आवेदक दो माह से अधिक समय से निरुद्ध रहा है तथा विचारण के शीघ्र समापन की कोई आशा नहीं है। वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, इस न्यायालय का मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किये जाने का अधिकारी है।

10. उपरोक्त प्रकरण में संलिप्त आवेदक **जीशान** को सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो भारी प्रतिभूतियाँ प्रत्येक (आपराधिक इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए) प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए, अर्थात् वह :-

- (i) विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
- (ii) अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा।
- (iv) प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को सम्बन्धित थाने पर उपस्थित होगा।

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

20 मार्च, 2026

एस.सी.

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)